(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन की मंजूरी देने का प्राधिकार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार, के पास है, जो स्वयं ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने में सक्षम हैं। इस संबंध में कानून के उपबंध, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि अधिकारी किस सेवा अथवा रैंक का है, अधिकारियों की सभी श्रेणियों पर एक से लागू होते हैं। कानून के अनुसार, अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। फिर भी, सरकार इस बात पर हमेशा जोर देती रही है कि सक्षम अधिकारियों को ऐसे मामलों में शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए। इस प्रयोजन से समय सीमा मामले के स्वरूप पर निर्भर करती है, अतः इस सिलसिले में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । तथापि, हाल ही में सम्पूर्ण भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अभियोजन की मंजूरी प्रदान किये जाने के लंबित पड़े सभी मामलों में तीन मास की निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। अभियोजन की मंजूरी प्रदान करना, व्यर्थ की औपचारिकता भर नहीं है बल्कि यह सक्षम प्राधिकारियों का अत्यंत महत्वपुर्ण, अपरिवर्तनीय औऱ अतर्क्य कर्तव्य है तथा ऐसे मामले में निर्णय लिए जाने से पूर्व उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त एक बार लोक सेवकों के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला, बन जाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही, विभागीय, कार्यवाही सहित कार्यवाही प्राम्भ किए जाने के बाद, उक्त कार्यवाही मामले के निपटारे तक चलती रहती है। अतः समय संबंधी तथा राजनैतिक दबाव के कारण लोक सेवकों के छूट जाने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्माचारियों के विरूद्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना

1031. **चौधरी हरमोहन सिंह यादवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनकी वर्तमान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है,

(ख) ऐसे मामले की संख्या कितनी है, जिनकी जांच का कार्य 31 मार्च 1997 तक पूरा हो चुका है, और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें लगाए गए आरोप सही पाए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कुल 1269 कर्मचारियों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही थी।

(ख) और (ग) 1.1.1997 से 31.3.1997 की अवधि के दौरान 49 मामलों में जांच को अंतिम रुप दे दिया गया था जो निम्न हैः-

(i) विचारण के लिए भेजे गए मामले 22

(ii) नियमित विभागीय कार्वाई के लिए भेजे 23 गए मामले

(iii) उपयूक्त कार्वाई के लिए भेजे गए 1 मामले

(iv) साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिए गए 3 मामले 49

वेतनमानों पर एक समान नीति

1032. **श्री नागमणिः**

चौधरी हरमोहन सिंह यादवः

क्या प्रधान मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत समूह (घ) के कई कर्मचारी आयकर का भुगतान करते हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न उपक्रमों बैंकों, मंत्रालयों तथा अन्य कई सरकारी संस्थाओं में वेतनमान अलग-अलग है तथा उनमें कई अन्य विभिन्नताएं भी हैं जिसके कारण कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों में असंतोष की भावना है औऱ कार्य के प्रति कोई उत्साह नहीं हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में एक समान नीति बनाने पर विचार कर रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।